कार्यालय पंजीयक सहकारी समितियॉ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
पुरानी कचहरी परिसर, संसद मार्ग,
नई दिल्ली–110001
सहकारिता विभाग

संख्या एफ/47/आरसीएस/वि.स. अतां 251/समन्वय/2012–13/ दिनांकः

सेवा में,

श्री लाल मणी,
उप–सचिव (प्र.)
दिल्ली विधानसभा सचिवालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली– 54

विषय– विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 251 दिनांक– 20/03/2013 के संदर्भ में ।

महोदय,

आपके पत्र संख्या संख्या एफ/11(बी–1)/VI/2012-13/वि.स.स./प्र.शा./1200 दिनांक– 05.03.2013 के संदर्भ में माननीय विधायक श्री ओ.पी. बब्बर द्वारा पूछे गए प्रश्न जो दिनांक 20.03.2013 के लिए निर्धारित है के उत्तर की 25 प्रतियां आपकी सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है ।

भवदीय

(नवीन कटारिया)
उप पंजीयक– समन्वय

संख्या एफ/47/आरसीएस/वि.स. अतां 251/समन्वय/2012–13/538 दिनांकः

प्रतिलिपि–

1556/cc
20/03/13

1. निदेशक, सूचना एवं प्रसार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली को 200 प्रतियां ।
2. सचिव, माननीय मंत्री (सहकारिता) दिल्ली विधान सभा, दिल्ली को 2 प्रतियां
3. प्रोग्राम (कम्प्यूटर शाखा) सहकारिता विभाग, दिल्ली सरकार को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु ।
4. कार्यालय प्रति ।

20/03/2013
Programmer (Computer cell)

(नवीन कटारिया)
उप पंजीयक– समन्वय

कार्यालय पंजीयक सहकारी समितियॉं
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
पुरानी कचहरी परिसर, संसद मार्ग,
नई दिल्ली
सहकारिता विभाग

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या– 251 दिनांक– 20.03.2013

प्रश्नकर्ता– श्री ओ. पी. बब्बर

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

प्रश्न		उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि वित्तीय वर्ष के आखिर में सहकारिता समितियों को अपने खातों की जांच करवानी पडती है,	जी हॉं, सहकारिता समितियों को प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर अपने खातों की जांच करवानी पडती है ।
ख	क्या सहकारिता समितियों के खाते जॉचने का कार्य चार्टेड अकाउंटेंट्स के किसी पैनल को सौंपा गया है, और	सहकारिता समितियों के खाते की जांच पंजीयक सहकारी समितियॉं के कार्यालय द्वारा बनाये गये चार्टेड एकाउंटेंट के पैनल में से किसी एक चार्टेड एकाउंटेंटस द्वारा करवायी जाती है ।
ग	सहकारिता समितियों के लिए चार्टेड एकाउंटंट्स आबंटित करने की क्या प्रकिया है ?	दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 60 (1) के अनुसार एकाउन्टस तैयार करने की तिथि से 120 दिन के अंदर पंजीयक सहकारी समितियॉं के कार्यालय द्वारा तैयार चार्टेड एकाउंटेंटस के पैनल में से किसी एक का चयन कर 15 दिन के भीतर निर्धारित फार्म में इस कार्यालय को सूचित करना पड़ता है । तत्पश्चात् इस कार्यालय द्वारा चार्टेड एकाउंटेंटस की नियुक्ति ऑडिटर के रूप में की जाती है । अगर सकहारी समिति की धारा 60 (1) में दी गयी अवधि के भीतर ऑडिटर नियुक्त नही कर पाती, तो धारा 60(6) के अधीन ऑडिटर की नियुक्ति, पंजीयक सहकारी समितियों द्वारा चार्टेड एकाउंटेंटस के पैनल में से की जाती है ।